Email ID : dfoagar@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 2060 /14–1   दिनांक : आगरा : 04, नवम्बर, 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 (ता0ट्रि0)
लोक निर्माण विभाग, आगरा।

विषय :– आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा–ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौडीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ का पत्राक 8बी0/यू0पी0/06/60/2018/एफ0सी0/366 दि0 18.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें उक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कुछ शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है शर्तों का अनुपालन आप द्वारा निम्न प्रकार किया जाना है :–

1. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि अर्थात 4.90 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 30.835 लाख ई पोर्टल के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराये।

3(क) प्रयोक्त अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 15.337 लाख ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

3(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनवद्धता प्रमाण पत्र जमा करेगें कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई राशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जायेगी।

comi-3/acc//letter-12/95

Email ID : dfoagar@gmail.com

4. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा जिस हेतु डी0डी0 जो "प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा" के नाम देय हो जमा करना होगा।
5. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि भू–क्षरण एवं जल भराव को रोकने के लिए परियोजना पर व्यय हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे।
6. प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
9. आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नए मार्ग के निर्माण नहीं किया जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तो का नियमानुसार पूर्ण पालन कर अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय में उपलब्ध करायें ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।